कार्यालय उद्यान विभाग
लखनऊ नगर निगम, लखनऊ

त्रिलोक नाथ मार्ग, लालबाग, लखनऊ–226001(उ0प्र0)
ई–मेल nnlko@up.nic.in website : https://etender.up.nic.in

ई–निविदा सू0सं0: 126 /पी0/उद्यान | दिनांक : 23/05/2026

ई–निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदा सूचना

ई–निविदा प्रणाली के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम द्वारा निम्नलिखित 03 कार्यों हेतु दिनांक 13/06/2026 को ई–निविदायें, ई–निविदा पोर्टल https://etender.up.nic.in पर आमंत्रित की जाती है, पोर्टल https://etender.up.nic.in पर निविदा के साथ जमानत धनराशि एवं निविदा प्रपत्र की धनराशि आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0/इण्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल https://induscollect.indusind.com/pay/index.php पर लॉगिन करके जमा किया जायेगा। ई–निविदा दिनांक 13/06/2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल पर प्राप्त की जायेगी जिन्हें उसी दिन अपराह्न 4:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोला जायेगा। किसी भी ई–निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा। अन्य समस्त नियम/शर्ते तथा कार्य का नाम, आगणन धनराशि, निविदा प्रपत्र की धनराशि एवं जमानत धनराशि तथा निविदा प्रपत्र की सूचनायें पोर्टल https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

अधीक्षक उद्यान–2, नगर निगम लखनऊ | अधीक्षक उद्यान–1, नगर निगम लखनऊ | अधिशाषी अभियन्ता (उद्यान), नगर निगम लखनऊ | मुख्य अभियन्ता (वि0/यां0), नगर निगम लखनऊ | मुख्य अभियन्ता (सिविल), नगर निगम लखनऊ

प्रकाशन हेतु नहीं है:–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य धनांक (लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	18 प्रतिशत जी.एस.टी.	कुल निविदा मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
01.	लखनऊ नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नटकुर के खसरा सं0: 159 रकबा 1.252 हे0 में मियावाकी व पार्क निर्माण एवं एक वर्षीय अनुरक्षण का कार्य।	230.04	13,50,200.00	निर्माण कार्य हेतु 08 माह तत्पश्चात् 01 वर्ष अनुरक्षण	23,004.00	4,141.00	27,145.00
02.	लखनऊ नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नटकुर के खसरा सं0: 165 रकबा 1.265 हे0 में मियावाकी एवं पार्क निर्माण एवं एक वर्षीय अनुरक्षण का कार्य।	254.65	14,73,250.00	निर्माण कार्य हेतु 08 माह तत्पश्चात् 01 वर्ष अनुरक्षण	25,465.00	4,584.00	30,049.00
03.	लखनऊ नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नटकुर के खसरा सं0: 168 रकबा 1.202 हे0 में मियावाकी एवं पार्क निर्माण एवं एक वर्षीय अनुरक्षण का कार्य।	244.78	14,23,900.00	निर्माण कार्य हेतु 08 माह तत्पश्चात् 01 वर्ष अनुरक्षण	24,478.00	4,406.00	28,884.00

नियम एवं शर्ते :–

01. निविदा में प्रतिभाग हेतु नगर निगम में पंजीकृत होना आवश्यक नही है। न्यूनतम निविदा धारक को सफल होने पर नियमानुसार पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
02. शासनादेश सं0–6738/23–7–06–176(सा0)/06 दिनांक 31.01.2007 का पालन करते हुए रू0 40.00 लाख की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि और उसके ऊपर समस्त अवशेष धनराशि पर 05 प्रतिशत की दर से जमानत धनराशि निविदा के समय ही जमा करायी जायेगी।
03. शासनादेश सं0–692/23–7–2024 दिनांक 09.08.2024 का पालन करते हुए 10 प्रतिशत निम्न तक कोई अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्यूरिटी नहीं ली जायेगी तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति कम दर पर सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारण्टी ली जायेगी।
04. शासनादेश संख्या–962/नौ–9–2017/81ज/17 दिनांक 17.10.2017 के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान फर्म द्वारा वास्तविक वाउचर प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिपूर्ति की जायेगी।
05. कॉलम सं0–4 एवं 8 में अंकित धरोहर धनराशि एवं निविदा प्रपत्र की धनराशि ऑनलाइन इण्टरनेट बैकिंग/आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी के माध्यम से पोर्टल https://induscollect.indusind.com/pay/index.php पर जमा करनी होगी। उक्त बेवसाइट के माध्यम से निविदा प्रपत्र का मूल्य **"Tender Fee"** मद में तथा जमानत धनराशि **"Security Deposit"** मद में जमा करनी होगी एवं जमा साक्ष्य के रूप में योज्य यूटीआर संख्या, पे–इन–स्लिप इत्यादि टक्निकल बिड (प्रथम भाग) के साथ ही ऑनलाइन अपलोड करनी होगी अन्यथा निविदा अवैध मानी जायेगी। अन्य किसी माध्यम से धनराशि स्वीकार्य नही की जायेगी।
06. आवेदक निविदादाता को शासनादेश संख्या 3890/नौ–5–19–149सा0/2019 दिनांक 20.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
07. कार्य समय से पूर्ण न होने पर अर्थ दण्ड लगाया जायेगा एवं जमानत धनराशि जब्त कर फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की होगी।
08. कार्य हेतु नियमानुसार डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूर्ण होने के उपरान्त ही कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर जमानत धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।
09. शासनादेश संख्या–टी0सी0/314/8/डी.एल.बी./2020 दिनांक 01.01.2021 के कम में उपरोक्त निविदायें ULB T-1 / ULB T-2 अथवा ULB T-3 के माध्यम से डाली जायेगी। शासनादेश निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है।
10. निविदादाता को कार्य की प्रकृति (उपवन विकास/मियावाकी वन विकास/पौधरोपण एव सिविल कार्यों सहित पार्क विकास/लाईटिंग कार्य) का सरकारी व अर्द्धसरकारी संस्थाओं/ स्वायत्तशासी संस्थाओं से जारी किया हुआ विगत पाँच वर्षों की अवधि के अन्तर्गत का 80% के सिंगल कार्यादेश के तहत् कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र, 50% के दो कार्यादेश के तहत् कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र अथवा 40% के तीन कार्यादेश के तहत् कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसके बिना निविदा स्वीकार नहीं होगी।
11. 15 प्रतिशत से अधिक की न्यून दर की निविदाओं में अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड पूर्ण होने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।
12. किसी कार्य में एक से अधिक निविदादाताओं की एक समान दर पर सर्वन्यून निविदा प्राप्त होने पर इन निविदादाताओं के मध्य लाटरी के माध्यम से सफल निविदादाता का चयन किया जायेगा।

13. 15 प्रतिशत से अधिक न्यून निविदाओं की स्वीकृति के पूर्व सम्बन्धित निविदादाता द्वारा शपथ–पत्र पर गुणवत्तापरक कार्य करने हेतु अपनी कार्ययोजना/बारचार्ट निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा एवं निविदा समिति द्वारा गुण दोष के आधार पर निविदा की स्वीकृति/अस्वीकृति पर निर्णय लिया जायेगा।
14. निविदादाता द्वारा विद्युत सुरक्षा निदेशालय से विद्युत कार्यो हेतु "क" श्रेणी लाईसेन्स का वैध प्रमाण–पत्र की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
15. निविदादाता द्वारा स्वयं अथवा संयुक्त उपकम के रूप में यदि ई–निविदा में भाग लिया जाना है तो उसे संयुक्त उपकम (पार्टनरशिप/प्राइवेट लि0/प्रोपराइटर फर्म/पी.एस.यू इत्यादि) का पंजीकरण कम्पनी अधिनियम–1956/2013 (भारतीय कम्पनीज) के अन्तर्गत है, से सम्बन्धित समस्त विवरण (अधिग्रहण, मर्जर, खरीदारी/बाहरी खरीदे/नाम स्थानांतरण इत्यादि) सहित कानूनी प्रपत्रों की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
16. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित स्टैप पेपर पर अनुबन्ध कराना होगा, अनुबन्ध के साथ नियमानुसार कार्यादेश की कुल 10प्रतिशत धनराशि एफ0डी0आर0 के रूप में नगर आयुक्त, नगर निगम लखनऊ के नाम बंधक कराते हुए जमा करानी होगी जिसमें से फिटिंग्स की कुल देय धनराशि का 10प्रतिशत 05वर्ष के लिए बन्धक होगी अवशेष अतिरिक्त धनराशि 01वर्ष बाद अवमुक्त कर दी जाएगी।
17. स्थापित की जाने वाली विद्युत पोल एवं एल0ई0डी0 फिटिंग्स की न्यूनतम 01वर्ष की गारण्टी होगी। इस अवधि में लाईट्स में कोई खराबी होती है या विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होते हैं तो उक्त स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त देय के फिटिंग्स को स्थल पर ठीक करना होगा।
18. निविदा में कोई भी संशोधन/परिवर्तन की सूचना को वेबसाइट पर ही अपलोड कर प्रकाशित किया जाएगा।
19. एक अथवा सभी निविदादाताओं की निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ में निहित होगा एवं किसी भी शर्त को संशोधित एवं समाप्त करने का पूर्ण अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ के अधिकार क्षेत्र में होगा।
20. उपरोक्त समस्त कार्यों पर द्वि–लिफाफा पद्वति अपनाई जाएगी।
21. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि उक्त कार्य को निरस्त कर दें तथा जनहित में निर्णय ले।
22. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र लखनऊ होगा।

प्रतिलिपि :–

01. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
02. अपर नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ।
03. मु0वि0 एवं लेखाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
04. प्रभारी अधिकारी प्रचार को विज्ञापन हेतु।
05. ई–निविदा सेल का आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. केयर टेकर को नोटिस बोर्ड हेतु।

अधीक्षक उद्यान–2 नगर निगम लखनऊ	अधीक्षक उद्यान–1 नगर निगम लखनऊ	अधिशाषी अभियन्ता (उद्यान) नगर निगम लखनऊ	मुख्य अभियन्ता (वि0/यां0) नगर निगम लखनऊ	मुख्य अभियन्ता (सिविल) नगर निगम लखनऊ

Signature Not Verified
Digitally signed by GANGA RAM GAUTAM
Date: 2026.06.02 18:32:11 IST